



वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- ✓ संस्था को विद्यार्थी-अभियंता हेतु उपरोक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रति :-

प्रधानाचार्य/निदेशक DEPARTMENT OF PHARMACY RAMA SHIKSHA SANSTHANBhikaripur Dist- Pilibur, UP



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10733

लखनऊ: दिनांक: 15/12/2022

**कार्यालय द्वारा:**

प्रखिला भारतीय मेडिकली शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयी ऑफ इन्फिर्मा, नई दिल्ली द्वारा वेटिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा ससय ससयोंकी शिक्षा ससयों की अनुमोदन प्रदान किए जाने के तससत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 15/12/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक ससय हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई ससयों की सम्बद्धता पूर्व से संयुक्तित ससयों की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संसय को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियुक्तित ससयों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

ससय का कोड एवं नाम : 4155-DEPARTMENT OF PHARMACY


कोड	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई-सी-टी-ई/पी-सी-आई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ ससय एच-आई-सी-टी-ई/पी-सी-आई द्वारा नियुक्तित की गयी ससयों का पूर्णतः पालन करेगा।
- ✓ ससय उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा ससय-ससय पर निर्णित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियुक्तित शुल्क तीन वर्षीय इन्वी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रारंभिक पाठ्यक्रम से प्रत्येक किया जाएगा। उपरोक्ता के अतिरिक्त छात्राससयों से शुल्क के संसय में ससय-ससय पर शासन द्वारा निर्णित किये जाने वाले शासनादेश प्रवली होंगे, और तदनुसार कार्यालयी शिक्षा जना अवसपक होगा। एस निर्धारण समिति द्वारा पंदि सत्र 2022-23 हेतु एस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो एस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ ससय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयुक्तित छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ ससय की ससय-ससय पर निर्णित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ ससय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णित विधि/विधियों अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र., संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ.प्र. तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. द्वारा कसये गये नियमों, विनियमों, अटशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि ससय का एच-आई-सी-टी-ई/पी-सी-आई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संसय में ससय उत्तरदायित्व ससय का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यालयी के लिये ससय स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा

परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काट टापर किया जाता है तथा वापर काट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कार्यमितिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आर0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक छवि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राया किया जाने वाला सुलक, छात्रावास सुलक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/ संवाहित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के ओवरक स्पलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निगमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ0आर0 स्थान)

सचिव

ए0सं0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/10734-10769

दिनांक: 15/12/2022

प्रतिष्ठित-  
प्रधानाचार्य/निदेशक DEPARTMENT OF PHARMACY

  
(एफ0आर0 स्थान)

सचिव

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

सखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

### :-कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संकायित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तैय्य गये निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र-2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4156-DEPARTMENT OF PHARMACY RAMA SHIKSHA SANSTHAN

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/फै०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 दिनांक-1 दिसंबर 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संकायित संस्था संरक्षणों की जॉब के विस्तृत आदेशों के अनुसार न्यायालय में जॉबिंग रिट प्रारिभता संख्या 5027/2023 में सम्पूर्ण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्दिष्ट की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सत्रक के अनुक्रम संस्थान में समस्त संस्थापन (भूमि, भवन, तैय्य उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1962; विनियमकारी-2000, सेक्टर विनियमकारी-2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्दिष्ट शासकद्वारा के अनुसार कार्यगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रत्येक शर्तकायता ही प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासकद्वारा से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शासकद्वारा प्रस्तावों होने, और उपरुक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस विधायक समिति द्वारा पढी सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो जीस की सर्वोत्तम पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने का ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त समय पर निर्दिष्ट शासकद्वारा के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करतल होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट विधिविधानों/अधिनियमों/संकायद्वारा/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विभिन्न रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा दायर होना के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकीर्ण वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा तमो प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साठ-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त क्वालिटी उपकरण खरीदने के साथ रैपिड रोकने के समक्ष में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि भवन, कार्मसी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना। विनियमसूची, 2020 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यालय, भवन और कर्मियों को परिषद की संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के शैक्षिक नतीजों के दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साठ-संज्ञा एअर/इंजीन/टॉर्क/पी/सी/अप/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने आका शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निषेधानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं०सं०- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक DEPARTMENT OF PHARMACY RAMA SHIKSHA SANSTHAN

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव